

पीठासीन अधिकारी :- प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 93/2021

दिनांक 13.09.2021

प्रकरण पर गौर किया गया। अदालत का मानना है कि धारा 88 आरटीएक्ट के तहत या धारा 136 एलआरएक्ट के तहत सनद में शुद्धि नहीं की जा सकती है। इसलिए यह वाद पत्र खारिज किया जाता है।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

